Serial No: 6399

Serial No. 6399

Deed No. 6311

Govt. of Bihar
Sub Registry Office , Phulwari Sharif
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 27/07/2015 by Dip Narayan Singh
A stamp duty of Rs. 288400/- and other fees of Rs. 20350/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. 6311 in Book No. 1, Volume No. 122 on pages from 107 to 120 and has been preserved in total 14 pages in C.D. No. 19 / Year 2015.

Signature with Date
(Rishi Kumar Sinha)
Registering Officer, Phulwari Sharif

Date: 27/07/2015 Token No: 6571 /2015

Scanned by_____
Ajay Kumar

ॐ

विकास कार्य एकरारनामा

(Development Agreement)

यह विकास एकरारनामा आज दिनांक २७/७/१५ माह जुलाई सन् 2015 ई० को निम्नलिखित पक्षों के बीच सम्पन्न हुआ।

VAIBHAVI PROP REALTY PVT. LTD.
Director

Sub District Registry Office,Phulwari Sharif

Token Number 6571 | Reg. Year 2015 | Serial Number 6399 | Deed Number 6311

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Presented By	Dip Narayan Singh						
Sig.	दीपनारायण सिंह 27/7/2015						
Executant	Dip Narayan Singh						
Sig.	दीपनारायण सिंह 27/7/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Claimant	Durgesh Kumar Singh						
Sig.	Durgesh 27.7.15						
Claimant	Kuber Kumar						
Sig.	Kuber Kumar 27/07/15						
Identified By	Devgati Singh						
Sig.	देवगति सिंह 27.7.15						

VAIBHAVI PROP REALTY PVT. LTD.
Director

SCORE Ver 3.0 | Powered by InfoSystem and Solutions,Patna | Biometric Captured By 2806sop002

प्रथम पक्ष

श्री दिप नारायण सिंह पिता का नाम स्व0 संजीवन सिंह, निवासी महल्ला- मनोहरपुर कछुआरा, थाना- गोपालपुर, जिला- पटना, जिन्हें आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेगें) जिसे प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवंम

द्वितीय पक्ष

वैभवी प्रॉउप रियलटी प्रा0 लि0, दिल्ली पंजियन सं0 **U70109DL2012PTC245384,** निबंधन कार्यालय- **A/1** प्रथम तल्ला, अली एक्टेंशन, न्यू दिल्ली-110076, नियर- सरिता विहार मैट्रो यार्ड, सरिता विहार, मैट्रो यार्ड, द्वारा एम0डी0 1.श्री दुर्गेश कुमार सिंह पिता विजय कुमार सिंह, पता- एल0-1, गली नं0- 29/1, हाउस नं0- 1795बी0, संगम विहार न्यू दिल्ली- 110062, एवं श्री कुबेर कुमार पिता डॉ0 पवन कुमार सिंह, साकिन- हाउसिंग बोर्ड कोलोनी, दिपूगढ़, हजारीबाग, (झारखण्ड) के माध्यम से सम्पादित किया जाता है जिन्हें आगे डेवलपर/भवन निर्माता, उन्नयकर्त्ता/विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित है जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित है, के बीच सम्पादित हुआ है।

यह कि जमीन मालिक मौजा- मनोहरपुर कछुआरा, सर्वे थाना- फुलवारी शरीफ, हाल थाना- गोपालपुर, जिला- पटना के जिसका थाना नं0- 117 (एक सौ सतरह), तौजी नं0- 432, वर्तमान तौजी - बिहार सरकार, खाता नं0- 90 (नब्बे), खेसरा सर्वे प्लौट नं0- 24 (चौबीस) में रकवा 51½ डी0 है, पर स्वामी के रूप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल-कब्जा में है। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख के कंडिका- 5 में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।



यह कि विलेख में वर्णित सम्पति जमीन मालिक का खतियानी जायदाद है। सर्वे खतियान में भू-स्वामी के पिता का नाम संजीवन महतो दर्ज है। संजीवन महतो उर्फ संजीवन सिंह अपने पांच पुत्रगण श्री रामगती सिंह, श्री शिवगती सिंह, श्री देवगुती सिंह, श्री दिप नारायण सिंह (प्रथम पक्ष) एवं श्री देव नारायण सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। पिता के स्वर्गवास कर

VAIBHAVI PROP REALTY PVT. LTD.
Director

जाने के बाद दिनांक 14.05.1986 ई0 को उपरोक्त सभी भाई एक लिखित खानगी बंटवारा के द्वारा कुल पैतृक वो मौरूसी जायदाद को बांट लिये। जिसके मुताबिक अन्य जायदाद के साथ उपरोक्त प्लौट नं0- 24 में मवाजी 51½ डी0 जमीन खास हक वो हिस्सा में भू-स्वामी (प्रथम पक्ष) को मिला। जिसपर प्रथम पक्ष वहैसियत उतराधिकारी वो कर्ता-धर्ता अपने परिवार के हैसियत से निर्विवाद काविज वो दाखिल मालिक मुस्तकिल होते वो रहते वो भी वअदाय मालगुजारी रसीद अपने नाम से कटाते चले आते है वो है। जिसका जमाबंदी नं0- 152/क है। इस तरह प्रथम पक्ष (भू-स्वामी) लेख्य सम्पति का अन्तरन एवं किसी भी प्रकार का करारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम है।

3. लेख्य प्रकार :-

भूखण्ड विकसित करने हेतु विस्तारक के साथ अनुरोध (विकास एकरारनामा)

4. भूखण्ड पर मल्टीकम्पलेक्स निर्माण पूरा होने पर कुल निर्मित क्षेत्र का 45 प्रतिशत भूखण्ड जमीन मालिक का होगा एवं 55 प्रतिशत विस्तारक (डिवलपर एण्ड बिल्डर) का होगा।

5. भूखण्ड का विवरण :-

कुल क्षेत्रफल 51½ डी0 (साढ़े एकावन डीसमील) है जो मौजा- मौजा- मनोहरपुर कछुआरा, सर्वे थाना- फुलवारी शरीफ, हाल थाना- गोपालपुर, जिला- पटना के जिसका थाना नं0- 117 (एक सौ सतरह), तौजी नं0- 432, वर्तमान तौजी - बिहार सरकार, में स्थित है, जिसका वार्षिक लगान मो0 5 रूपया, अंचल कार्यालय पटना सदर के माध्यम से जमाबंदी संख्या- 152/क पर भुगतान किया जाता है। उपरोक्त जमीन पटना नगर निगम तथा जिला अवर निबंधन कार्यालय पटना सदर के क्षेत्रागत है। उपरोक्त सम्पति का बकिये नम्बरात एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

खाता नं0-	खेसरा सर्वे प्लौट नं0-	रकवा
90	24	51½ डी0

चौहद्दी

उत्तर - सहायक रास्ता

दक्षिण - प्लौट नं0- 23 सुनील सिंह एवं सुशील सिंह

पूरब - सहायक रास्ता

पश्चिम- पार्ट प्लौट नं0- 24 भू-स्वामी के पट्टीदार शिवगती सिंह

नोट :- उपयुक्त सम्पति वर्ष 2014 के न्युनतम दर पंजी के कोड नं0- एवं जोन - पर अंकित है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य मो0 1,44,20,000/- (एक करोड़ चौवालीस लाख बीस हजार) रूपया है।

VAIBHAVI PROP REALTY PVT. LTD.
Director

6. यह कि नक्शा स्वीकृति के एक महीना के भीतर विस्तारक एवं भूखण्ड स्वामी अपने-अपने हिस्से का निर्धारण कर लेगें एवं अपने हिस्से से संबंधित सहमति पत्र का 1000/- रु0 स्टॉम्प पेपर पर आगे-पीछे उपर निचे सभी तल्ला मे उत्तर-दक्षिण सभी दिशाओं के फ्लैट का निष्पादन करेगें।

यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त जमीन पर भूकम्प अवरोधि बहुमंजिला ईमारत बनवाना चाहते है और इस उद्वेश्य हेतु इसे उपर वर्णित द्वितीय पक्ष बिल्डर को निम्नलिखित तथ्यों एवं शर्तो पर दिया गया है :-

1. प्रथम पक्ष यह घोषणा करते है कि यह भूखण्ड पूर्णतः साफ सुथरा अर्थात सिलिंग, एक्युजिसन आदि से मुक्त है तथा इन पर किसी तरह का कर्ज, बकाया या ऋण-भार नहीं है। साथ ही इस जमीन पर किसी अन्य सरकारी विभाग से भी अटैचमेंट या एक्जुजिसन से संबंधित कोई सूचना नहीं है। इस जमीन से संबंधित किसी प्रकार का कोई केश न्यायालय में नहीं है। यह जमीन पूर्णतः बिकी योग्य है और यह भूखण्ड बहुमंजिला ईमारत के नक्शा पास होने में किसी तरह का बाधा या अड़चन नहीं होगा। प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि वे इस भूखण्ड के पूणतः मालिक है तथा इन्हें बेचने आदि का सभी अधिकार प्राप्त है, परन्तु अभी तक किसी के साथ न तो बेचे है, न दान की है, न ही रेहन रखा है, न तो इस तरह का कोई अन्य एकरारनामा (एग्रीमेन्ट) स्टैड करता है।

2. यह कि प्रथम पक्ष इस एग्रीमेन्ट के बाद, द्वितीय पक्ष एवं इनके स्टाफ इंजिनीयर, आर्किटेक्ट, एजेन्ट इत्यादि को हरेक तरह के सहायता प्रदान करेगें तथा व्यय द्वितीय पक्ष करेगें जैसे उक्त भूखण्ड पर जाने, रहने, प्रचार हेतु बोर्ड लगाने या बिल्डिंग मेटेरियल जमा करने हेतु एवं अन्य विकास पूर्व कार्य, जमीन मापने, बौन्ड्री वाल करने हेतु इत्यादि।

3. यह कि प्रथम पक्ष प्लॉट को द्वितीय पक्ष को पूर्णतः खाली अवस्था में सौप दिये है।

4. यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि यदि किसी प्रकार का झूठा दावा या अन्य प्रकार का विवाद उक्त भूखण्ड या भूखण्ड के अंश पर स्वामित्व संबंधित होगा तो इस तरह के मामले को प्रथम पक्ष खुद अपने खर्च पर जल्द से जल्द निबटायेगें और इस कारण से निर्माण में हुई बिलम्ब को निर्माण अवधि में नहीं जोड़ेगें।

5. यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि उक्त भूखण्ड से संबंधित इस तरह का कोई और एग्रीमेन्ट किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के साथ नहीं है, अगर ऐसा पाया जाता है तो द्वितीय पक्ष इस एग्रीमेन्ट को

VAIBHAVI PROP REALTY PVT. LTD.
Director

निरस्त करने हेतु एवं उस भूखण्ड पर निर्माण हेतु किये गये सभी कार्यो में खर्च, किये गए राशि लेने के हकदार होगें, साथ ही प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि निर्माण अवधि में द्वितीय पक्ष के सामने किसी प्रकार की दिक्कते पैदा नहीं करेगें।

6. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि भवन निर्माण के बाद निर्मित भवन तथा पार्किंग में प्रथम पक्ष का 45 प्रतिशत हिस्सा एवं द्वितीय पक्ष का 55 प्रतिशत हिस्सा होगा।

7. प्रथम पक्ष यह घोषणा करते है कि उपर वर्णित भूखण्ड स्वामी के अलावा इसमें और किसी अन्य व्यक्ति का हिस्सा नहीं है, जैसे कोई अन्य भाई, भतिजा, बहन इत्यादि अगर ऐसा होता भी है तो वह शर्त संख्या- 6 के अनुसार सिर्फ प्रथम पक्ष के हिस्से में से ही हिस्सेदार होगें न कि द्वितीय पक्ष के हिस्सा से यानि कि द्वितीय पक्ष का हिस्सा किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा।

8. प्रथम पक्ष जरूरत पड़ने पर इस भुखण्ड पर इस बिल्डर द्वारा भवन निर्माण करवाने हेतु स्वीकृत होने वाले नक्शे पर हस्ताक्षर करेगें तथा नक्शा इस दस्तावेज के साथ संलग्न रहेगा।

9. प्रथम पक्ष इस बात पर भी सहमत है कि समय-समय पर जरूरत पड़ने वाले सभी तरह के पेपर, डीड एवं अन्य कागजात द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेगें तथा प्रथम पक्ष रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट के पूर्व विकासक द्वारा निर्गत जमाबंदी रसीद एवं भूस्वामित्व प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देगें।

10. प्रथम पक्ष पुनः सहमत है कि अगर निर्माण कार्य में विघ्न या निर्माण कार्य किसी कारणवश बंद होने पर, जैसे कि भूखण्ड से संबंधित किसी तरह का विवाद को लेकर हुए केस के पश्चात् जिससे भवन निर्माण का कार्य करना बिल्डर के नियंत्रण से बाहर हो, वैसी परिस्थिति में जरूरत अनुसार निर्माण अवधि सहमति से बढ़ाई जाएगी।

11. अगर द्वितीय पक्ष को किसी समय भविष्य में उस सम्पति/भवन पर से हटाना या छोड़ना पड़ता है जैसे टाईटिल में कमी या इस तरह के अन्य विवाद के चलते सलटना होगा तो दोनों पक्षों के रजामंदी से होगा।

12. प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि निर्माण में कार्य का निरीक्षण कर सकते है और किसी तरह का त्रुटि होने पर बिल्डर से कहकर उसका सुधार करवायेगें तथा अधिकृत या बैद्य कार्य बंद कराने का अधिकार जमीन मालिक को नहीं होगा।

VAIBHAVI PROP REALTY PVT. LTD.
Director

13. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट अंकित भूखण्ड पर बहुमंजली भवन बनाने हेतु संबंधित अधिकारी से नक्शा पास होने कि तिथि से 3 वर्ष में निर्माण करके प्रथम पक्ष को उनका हिस्सा सौप देगें। उक्त अवधि में अगर प्रथम पक्ष का हिस्सा नहीं मिलता है तो प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को छः माह का अतिरिक्त समय निर्माण हेतु दिया जायेगा। इसके बाद विलम्ब होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा हर्जाने के तौर पर मो0 1,000/- (एक हजार) रूपये मात्र प्रति कड्ड की दर से प्रतिमाह प्रथम पक्ष (जमीन मालिक) को दिया जायेगा।

14. यह कि जमीन मालिक सहमत है और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेगें और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने-अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होगें तथा वे अपने-अपने हिस्से को पृथक रूप से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होगें और उसका नियमानुकुल समक्ष निबंधन कार्यालय में निबंधन करेगें जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेगें और बिक्रय के लिए एकरारनामा करेगें। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा।

15. बिल्डर अपने हिस्से को किसी भी व्यक्ति को सीधे बिकय पत्र हेतु एकरारनामा एवं बिक्रय पत्र निष्पादित कर सकते है और इस कार्य में प्रथम पक्ष को अवरोध करने का कोई अधिकार नही होगा साथ ही प्रथम पक्ष भी अपने हिस्से को किसी से बेच सकते है या अपने पास रख सकते है उसमें द्वितीय पक्ष को अवरोध करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16 दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि सेट बैक, ओपन स्पेश सिढ़ी इत्यादि पर सभी रहने वालों का समान रूप से उपयोग करने का अधिकार होगा और व्यक्तिगत रूप से इस पर किसी का दावा नहीं रहेगा। सबसे उपरी छत पर सिर्फ बिल्डर का दावा रहेगा।

17. सभी तरह के खर्चो का निष्पादन इस एग्रीमेन्ट के निष्पादन के तिथि से डेवलपर्स यानि कि द्वितीय पक्ष द्वारा उठाया जाएगा परन्तु एग्रीमेन्ट के पहले का बकाया राशि अथवा अन्य प्रकार की जबावदेही प्रथम पक्ष की होगी।

25/07/2015

VAIBHAVI PROP REALTY PVT. LTD.
Director

18. बिल्डर के द्वारा कौमन क्षेत्र के लिए, प्रकाश, पानी, आपूर्ति के लिए बोरिंग एवं पम्प की सुविधा प्रदान की जायेगी। इसके अलावे विद्युत एवं जेरनेटर द्वारा विद्युत सप्लाई अन्य सदस्यों की तरह प्रथम पक्ष को भी उपलब्ध ~~करायेगें~~ तथा विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग से स्वयं अपने खर्च पर सभी सदस्य एवं जमीन मालिक लेवेगें।

19. नक्शा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढ़ोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थति में निर्माण कार्य विकाशक द्वारा पूर्ण करने पर उपर्युकत अंकित अनुपातिक हिस्से के लिए जमीन ~~मालिक~~ भी हकदार होगें तथा उसी अनुपात में जमीन मालिक एवं केताओं का प्रति फ्लैट अनुपातिक जमीन में हिस्सा बदल जायेगा।

20. यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी तरह के कानूनी प्रकियाओं को पूर्ण करने का अधिकार होगा जिससे कि प्रस्तावित योजना का कार्यान्यवन हो सके। निर्माण कार्य में लागत पूंजी समावेश द्वितीय पक्ष किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से आर्थिक-ऋण निर्मित क्षेत्र के अपने हिस्से को मॉरगेज कर अथवा प्रस्तावित योजना के तहत फ्लैट/पार्किंग के एवज में बुकिंग कार्य/आर्थिक ऋण उगाही सिर्फ 55 प्रतिशत (पचपन प्रतिशत) क्षेत्र पर ही द्वितीय पक्ष करेगें। किसी भी हालत में प्रश्नगत भूखण्ड बिल्डर बंधक नहीं रखेगें।

21. यह कि विकासक को उक्त प्लॉट के साथ बाद में मिले प्लॉट को मिलाकर एक साथ या ब्लॉकवाईज विकास कर सकते है, जिसमें प्रथम पक्ष (जमीन मालिक) को किसी प्रकार का अवरोध करने का अधिकार नहीं होगा।

22. यह कि किसी तरह का विवाद या मतभेद होने पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति भारतीय आर्विट्रेशन एक्ट के तहत किया जाएगा।

<u>एनेक्चर</u>

कम्पलैक्स के निर्माण के अन्तर्गत आर्किटेक्चरल एवं स्ट्रक्चरल विवरण :-

1. फाउन्डेशन आर0 सी0 सी0 पाईलिंग
2. स्ट्रक्चरल आर0 सी0 सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर
3. सिविल वर्क ईट्वर्क सिमेन्ट मोर्टार के साथ
4. छत आर0 सी0 सी0
5. फर्श मार्बल/विट्रीफाईड टाईल्स
6. पलास्टर दिवाल सिमेन्ट मोर्टार (1:6) सिंलिग सिमेन्ट मोर्टार (1:4)।

VAIBHAVI PROP REALTY PVT. LTD.
Director

7. दरवाजा (असाम सेल) हार्डउड लकड़ी का चौखट 32 मी0 मी0 मोटा फ्लाश डोर प्राइमर सहित।

8. खिड़की लकड़ी फ्रेम खिड़की शीशा लगा।

9. रसोई घर मार्बल, ग्रेनाईट का वर्किंग प्लेटफार्म, स्टील सिंक तथा दीवाल में 24 इंच गलेज्ड-टाईल्स।

10. बाथरूम दिवाल में 7 फीट गलेज्ड टाईल्स तथा सतह में मार्बल फ्लोरिंग/टाईल्स।

11. विद्युत वायरिंग कॉन्सिल्ड पी0 वी0 सी0 कॉनड्युट वायरिंग सहित स्टैण्डर्ड क्वालिटी का फिटिंग-स्वीच के साथ।

12. दीवाल छत फिनिशिंग अंदर से प्लास्टर ऑफ पेरिस/वालपुटी

13. टी0 वी0 प्वाईन्ट, सभी कमरों में एक प्वाईन्ट।

14. टेलिफोन प्वाईट, सभी फ्लैटों में एक प्वाईट।

15. सिवरेज उपर्युक्त व्यवस्था सहित।

16. जेनेरेटर एवं इंटरकॉम का प्रावधान रहेगा।

17. लिफ्ट स्टैण्डर्ड कम्पनी का

18. जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वतंत्र बोरिंग के द्वारा होगा।

19. भवन निर्माण में उपयोग होने वाले छड़ सिमेंट एवं ईट ए-ग्रेड पैम्प मार्क का होगा तथा

नल हिन्दुस्तान कम्पनी, मार्बल डुमरी, टाईल्स कजरिया या सोमानी का होगा।

निम्न गवाहों की उपस्थिति में उभय पक्षों ने इस विकास एकरारनामा (डिवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट) को पढ़कर, पढ़वाकर सुन समझकर बिना किसी जोर या दबाव के स्वस्थ्य मन एवं दिमाग से अपने-अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी

VAIBHAVI PROP REALTY PVT. LTD.

Director

सलाहकारों से विचार विमर्श कर इस पर हस्ताक्षर बनाया ताकि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

गवाह का हस्ताक्षर

1. [illegible]
पिता :- श्री [illegible]
पता :- [illegible]
[illegible] : जक्कनपुर, पटना-1

2. पहचान कर्ता
देवजाति सिंह
25.7.15
पिता स्व. संजीवन सिंह
मनोहरपुर कदमकुआं
गा. जक्कनपुर पटना

भू-स्वामिगण का हस्ताक्षर

Durgesh Kumar Singh
Durgesh
25/07/2015

Kuber Kumar
25/07/15

डेभलपर्स का हस्ताक्षर

Durgesh Kumar Singh
Durgesh
25.7.15

Kuber Kumar
25/07/15

कम्प्युटरकर्ता

Rajiv
राजू कुमार

प्रारूपकर्ता

[illegible]
[illegible] : 187/02
[illegible] पटना-2

VAIBHAVI PROP REALTY PVT. LTD.
Durgesh
Director

[illegible]

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 288400/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 0/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 308750/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0		
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0		
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0		
A10	0	E	20000	J1	0	K2	0	Na	0		
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0				
								TOTAL-	20000		

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 20350

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	350
Proc.Fee	0	
Total	0	

Registering Officer
Phulwari Sharif

Date: 27/07/2015

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Phulwari Sarif on Monday, 27th July 2015 by Dip Narayan Singh S/O- Late Sanjivan Singh by profession Others. Status - Executant

सही. दीपनारायण सिंह
27/7/2015

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:27/07/2015**

Registering Officer
Phulwari Sarif

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Deogati Singh' age '65' Sex 'M', 'S/O-Sajivan Singh', resident of 'Manoharpur Kachhuara,sahpur,patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 27/07/2015

Registering Officer
Phulwari Sharif

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Phulwari Sarif in Book 1 Volume No. 122 on pages on 107 -120 , for the year 2015 and stored in CD volume No. CD-19 year 2015 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 27/07/2015

Registering Officer
Phulwari Sharif

Token No. : 6571 **Year : 2015** **S.No. : 6399** **SCORE Ver.3.0** **Deed No . : 6311**

VAIBHAVI PROP REALTY PVT. LTD.
Director